पत्रांक– 7/जा0नि0–19–11/08 का॰– **5682**

झारखण्ड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

जे0बी0 तुबिद
सरकार के सचिव।

सेवा में,

<u>सभी प्रमंडलीय आयुक्त</u>
<u>सभी उपायुक्त</u>
<u>सभी अनुमंडल पदाधिकारी</u>
<u>सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी</u>
सभी अंचल अधिकारी।

रांची, दिनांक **22** अक्टूबर, 2008

विषय : जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक इस विभाग के परिपत्र संख्या 7/मु0मं0 सचि0 12–03/2006 का॰–5615 दिनांक 17.10.2006 का कृपया निदेश किया जाय जिसके द्वारा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 173 दिनांक 09.11.1996 के आलोक में जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु प्राप्त अभ्यावेदनों/आवेदन पत्रों के निस्तार हेतु अधिकतम समय–सीमा 30 (तीस) दिन निर्धारित करते हुए समय सीमा के अन्दर कार्रवाई किये जाने का अनुदेश दिया गया था।

राज्य सरकार के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि जाति प्रमाण पत्र, यथा– निर्धारित समय–सीमा के अन्दर उपलब्ध नहीं होने से कठिनाई उत्पन्न हो रही है। जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के विषय पर प्रक्रिया को सुगम एवं प्रभावशाली बनाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने निम्न निर्णय लिया है:–

1) जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने की समय–सीमा :–

(क) प्रखंड/अंचल कार्यालय – 7 कार्य दिवस
(ख) अनुमंडल कार्यालय – 7 कार्य दिवस
(ग) जिला कार्यालय – 7 कार्य दिवस

यदि किसी मामले विशेष में विस्तृत जांच की आवश्यकता हो तो इस स्थिति में अधिकतम 30 दिनों के अंदर जांच की प्रक्रिया पूरी कर नियमानुसार जाति प्रमाण पत्र से संबंधित मामले का निस्तार सुनिश्चित किया जाय।

2. जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए मानक प्रपत्र निर्धारित किया गया है जो इसके साथ संलग्न है। संलग्न प्रपत्र–I में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा प्रपत्र–II में अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूचित–I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूचित–II) के लिए सभी स्तरों पर सभी कार्य हेतु जाति प्रमाण पत्र निर्गत किये जायेंगे।

3. राज्य सरकार के प्रशासकीय नियंत्रणाधीन संचालित विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में नामांकन के दौरान जाति प्रमाण पत्रों के मूल से सत्यप्रति (True Copy) का मिलान कर मूल जाति प्रमाण पत्र सम्बद्ध व्यक्ति को हस्तगत करा दी जाय तथा सत्यापित प्रति शिक्षण संस्थान द्वारा अभिलेख के रूप में संधारित कर ली जाय।

4. अनुरोध है कि जाति प्रमाण पत्र के मामले के निस्तार में उपर्युक्त अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,
ह0/–
(जे0बी0 तुबिद)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–7/जा0नि0–19–11/08 का.–5682 /रांची, दिनांक 22 अक्टूबर, 2008

प्रतिलिपि–सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. राज्य के प्रशासकीय नियंत्रणाधीन संचालित विभिन्न शिक्षण संस्थानों के प्रशासी विभाग से विशेष अनुरोध है कि इस परिपत्र की कंडिका–3 में अंकित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु अपने–अपने स्तर से भी कार्रवाई की जाय।

ह0/–
सरकार के सचिव।

झारखण्ड सरकार

प्रपत्र–I

....
(कार्यालय का नाम)

जाति प्रमाण पत्र
(सभी कार्यों के लिए)

संख्या :–............................ तिथि :–..............

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पुत्री/पत्नी, श्री ...., निवासी, ग्राम/क़स्बा/मोहल्ला ...., डाकघर ...., थाना ...., जिला ...., राज्य .... अनुसूचित जाति */ अनुसूचित जनजाति * श्रेणी के अन्तर्गत .... जाति/उप जाति के सदस्य हैं, जो झारखण्ड राज्य के लिए अनुसूचित जाति */अनुसूचित जनजाति * के रूप में मान्यता प्राप्त है ।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी .... एवं/अथवा उनका/उनकी परिवार साधारणतः गांव/कस्बा .... शहर ....जिला .... राज्य .... में निवास करते हैं ।

स्थान :–

तिथि :–

सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर;

नाम ....

पदनाम ....

(कार्यालय की मुहर)

(नोटः– जो लागू नहीं हो, उसे काट दिया जाय।)

1. * बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा–23 एवं 24 के अन्तर्गत 5वीं तथा 6ठी अनुसूची में अंकित क्रमशः संविधान (अनुसूचित जाति) संशोधन आदेश 1950 एवं संविधान (अनुसूचित जन जाति) संशोधन आदेश 1950
2. * अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002

झारखण्ड सरकार

प्रपत्र–II

....

(कार्यालय का नाम)

जाति प्रमाण पत्र

(सभी कार्यों के लिए)

संख्या :–............................ तिथि :–..............

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पुत्री/पत्नी, श्री ...., निवासी, ग्राम/कस्बा/मोहल्ला ...., डाकघर ...., थाना ...., जिला . ..., राज्य ....अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1)*/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2)* श्रेणी के अन्तर्गत .... जाति/उप जाति के सदस्य हैं, जो झारखण्ड राज्य के लिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1) */पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2) * के रूप में मान्यता प्राप्त है ।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी .... एवं/अथवा उनका/उनकी परिवार साधारणतः गांव/कस्बा .... शहर ....जिला .... राज्य .... में निवास करते हैं ।

स्थान :–

तिथि :–

हस्ताक्षर,

सक्षम पदाधिकारी का

नाम ....

पदनाम ....

(कार्यालय की मुहर)

(नोट:– जो लागू नहीं हो, उसे काट दिया जाय।)

1. * झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए अधिनियम, 2001 की अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में अंकित जातियाँ/उप जातियाँ)
2. * कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या–3885, दिनांक 05.11.2001, 801 दिनांक 11.02.2003, 3436 दिनांक 28.06.2004, 6337 दिनांक 08.12.2004, 6374 दिनांक 11.12.2004, 368 दिनांक 19.01.2006, 2759 दिनांक 01.06.2006, 3706 दिनांक 15.07. 2006, 4447 दिनांक 24.08.2006, 5182 दिनांक 26.09.2006, 1604 दिनांक 28.03.2007, 243 दिनांक 11.01.2008 एवं 5108 दिनांक 23.09.2008